

परिशिष्ट-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1965

द्वारा माननीय विधायक श्री सुखेन्द्र सिंह

क्र.	जिला सीधी	जिला सिंगरौली	जिला सतना	जिला रीवा
(क)	जिला सीधी में वर्ष 2014-15 में 05 रेत खदानों का चिन्हांकन किया गया है एवं वर्ष 2015-16 में खदान का चिन्हांकन नहीं किया गया है। उक्त खदानों में आज दिनांक तक खनन एवं संग्रहण या परिवहन नहीं किया गया है।	जिला सिंगरौली अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 17 एवं 2015-16 में रेत खदानों का चिन्हांकन नहीं किया गया। इनमें से 03 खदानों में सिया द्वारा जारी पर्यावरणीय अनुमति के बिन्दु क्रमांक 06 में 01 जून 2015 से 31 अक्टूबर 2015 तक रेत की खदानों में कार्य प्रतिबंधित होने के कारण उक्त अवधि में रेत का खनन या संग्रहण या परिवहन नहीं किया गया। 14 खदानों में सिया की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।	जिला सतना अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए रेत की खदानों का चिन्हांकन नहीं किया गया है। शेष के संबंध में प्रश्न ही नहीं उठता है।	रीवा जिले में वर्ष 2015-16 में निरंक तथा वर्ष 2014-15 के लिए रेत की एक घोष विक्रय खदान का चिन्हांकन किया गया है जिसमें पर्यावरण सम्मति नहीं होने के कारण रेत का खनन, संग्रहण तथा परिवहन नहीं किया गया।
(ख)	पर्यावरणीय अनुमति के अभाव में रेत खदानों का संचालन नहीं किया गया है।	सिया द्वारा जारी पर्यावरणीय अनुमति के बिन्दु क्रमांक 06 में 01 जून 2015 से 31 अक्टूबर 2015 तक रेत की खदानों में कार्य प्रतिबंधित होने के कारण उक्त अवधि में रेत का खनन या संग्रहण या परिवहन नहीं किया गया। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।	प्रश्नांश 'क' के उत्तर के तारतम्य में यह लागू नहीं होता है।	रेत की खदानों का संचालन न किए जाने, रेत का खनन, संग्रहण एवं परिवहन पर्यावरणीय अनुमति के अभाव में नहीं हुआ है।
(ग)	म.प्र. शासन, वन एवं पर्यावरण विभाग (सिया) से अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण रेत खदानों का संचालन नहीं किया गया।	निरंक	प्रश्नांश 'क' के उत्तर के तारतम्य में यह लागू नहीं होता है।	वर्ष 2015-16 के लिए नीलाम की गई रेत खदान का अप्रैल 2015 से प्रस्तावित दिनांक तक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त नहीं होने से संचालन नहीं किया गया।

अधिकांश
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग